	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक **संक्षिप्त कार्य विवरण**
	चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-08

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2017

(फाल्गुन 17, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

2. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने विशेष उल्लेख किया :-

आज 8 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के सम्मान में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है । महिला विकास, वर्तमान में किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास का पर्याय बन गया है । महिलाओं की बढ़ती हुई सक्रियता के कारण आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में उनकी प्रभावी भूमिका स्पष्टत: दिखाई देती है। विश्व का इतिहास और विश्व के प्रगतिशील देशों की राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए उस देश की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य भी है ।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सदैव आदर एवं सम्मान की परम्परा रही है एवं राज्य के सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी का निर्वहन किया है । मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें ।

श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी इस अवसर पर उद्गार व्यक्त किये।

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 05 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 41 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बघेल लखेश्वर, दीपक बैज, संतराम नेताम, सदस्य ने प्रदेश में झूलाघर बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने जिला राजनांदगांव, नगर पंचायत डोंगरगांव में तालाबों का पानी प्रदूषित होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नवीन मारकण्डेय
(2) डॉ. विमल चोपड़ा
(3) श्री दीपक बैज
(4) श्री चिंतामणी महाराज

9. वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, उमेश पटेल, रोहित कुमार साय, गिरवर जंघेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामलाल चौहान, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), गुरूमुख सिंह होरा, केशव चंद्रा, अमित अजीत जोगी, जनकराम वर्मा, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, दिलीप लहरिया, मोहन मरकाम, चिंतामणी महाराज,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 7.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 9 मार्च, 2017 (फाल्गुन-18, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा